

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची ।

डब्ल्यू० पी० (पी०आई०एल०) सं०-674 वर्ष 2017

1. सुधीर पाठक, पे० स्वर्गीय विद्यानन्द पाठक
2. दीप नारायण नारोन, पे० स्वर्गीय राम नारायण नारोन
3. प्रताप कुमार, पे० श्री राम कुमार दुबे

सभी निवासी-कास्टेयर टाउन, डाकघर एवं थाना-देवघर, जिला-देवघर

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. मुख्य सचिव के माध्यम से झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, देवघर
3. उप-समाहर्ता, भूमि सुधार (एल०आर०डी०सी०), देवघर
4. अंचलाधिकारी, (सी०ओ०), देवघर उत्तरदातागण

कोरम :

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी०एन० पटेल

याचिकाकर्ताओं के लिए :-

मेसर्स विशाल कु० त्रिवेदी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :-

मेसर्स आर०आर० मिश्रा, जी०पी०-॥

05 / दिनांक: 07वीं सितम्बर, 2018

अनिरुद्ध बोस, मु० न्याया०

1. हम त्रुटि के बावजूद इस रिट याचिका को हम सुनवाई के लिए ले रहे हैं, क्योंकि मामला कुछ समय से लंबित है।

2. इस कार्यवाही में याचिकाकर्ता की मुख्य प्रार्थना है कि भूमि हेरफेर/घोटाले के मामले की जांच की जाए, विशेष रूप से देवघर जिले के मौजा श्यामगंज क प्लॉट संख्या 875, 876ए 877ए 878 एवं 413 के अनुरूप जमाबंदी संख्या 139/3301, 147/3309, 158/3321 के संबंध में। कुछ जुड़े मामले में, हमें राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा द्वारा अवगत कराया जाता है कि सी0बी0आई0 जांच चल रही है। यदि राज्य इस बात से संतुष्ट है कि इस जनहित याचिका का विषय भी सी0बी0आई0 द्वारा जांच के योग्य है, तो उचित कदम उठाए जाने चाहिए। हम यह संप्रेक्षण कर रहे हैं क्योंकि इसी तरह के मुद्दे पर सी0बी0आई0 पहले से ही इस तरह के आरोपों की जांच करेगा और कानून के तहत आवश्यक होने पर कदम उठाएगा।

3. इस निर्देश के साथ, हम इस रिट याचिका का निपटान करते हैं।

(अनिरुद्ध बोस, मु0 न्याया0)

(डी0एन0 पटेल, न्याया0)